अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्र0 सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1.	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति छात्रवृति योजना से संबंधित परिवाद	वर्तमान में यह योजना शिक्षा विभाग को स्थानांतरण किया जा चुका है ।		
2.	मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावत्ति योजना से संबंधित परिवाद			
3.	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नागरिक संरक्षण अधिनियम, 1995 से संबंधित परिवाद	1. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । 2. अत्याचार के मामलो में राहत अनुदान की राशि संशोधित नियम– 2016 जो दिनांक– 14.04.2016 के आलोक में भुगतान किया जा रहा है । साथ ही हत्या के मामलों में पात्र आश्रित को उक्त संशोधन नियम के आलोक में 5000 + महँगाई भत्ता प्रतिमाह के दर से अत्याचार के पीड़ीत/पीड़ीतों के आश्रितों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है । 3. राज्य में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पात्र आश्रित को सरकारी रोजगार दिया जाता है एवं इसके अलावा नियम–11 के तहत कांड अन्वेषण तथा मामलों की सुनवाई के दौरान पीड़ीत/पीड़ीता के आश्रितों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ।	**1. पत्रता** – राज्य में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति समुदाय के सभी वर्गो के लिए । **2. उद्देश्य** – इस अधिनियम का उद्देश्य गैर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अपराधों को रोकना है तथा अत्याचार से पीड़ीत व्यक्ति को समाज में सुरक्षा, पुनर्वास हेतु राहत राशि एवं न्यायिक सहायता प्रदान करना है । **3. कार्यक्षेत्र** – राज्य के सभी जिलों में संचालित । **4. योजना का क्रियान्वयन** – राज्य के सभी जिलों में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार के मामलों में राहत अनुदान की राशि संशोधन नियम,2016 के आलोक में प्रदान की जा रही है । मुआवजा को पारदर्शी ढ़ग से निस्तारित करने के लिए पोर्टल ोजजचेरूध्ध्बेजवदसपदमण्इपीण्दपबण्पदध्ध्ैब्ज|ज्ध्ध्डमकींध|जतवबपजलध्स्वहपदध्ध्ेंचग **5.** इस योजना के तहत अनुदान पाने हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया जा सकता है ।	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी

4.	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय योजना से संबंधित परिवाद	1. इस योजना के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए राज्य में कुल–87 आवासीय विद्यालय संचालित है । 2. आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं को दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा विद्यालय के रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है । 3. विभाग द्वारा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद के लिए दिशा–निर्देश के अनुसार तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र, पठन–पाठन सामग्री, बेडसीट, चादर, तकिया एवं दरी की राशि **क्ठज** के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के खाता में अंतरित करने का प्रावधान है ।	**1. पत्रता –** राज्य में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति समुदाय के छात्र/छात्राओं में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना । **2. उद्देश्य –** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाना । **2. कार्यक्षेत्र –** राज्य के 87 आवासीय विद्यालयों में संचालित । **3. योजना का क्रियान्वयन –** आवासीय विद्यालय में दाखिला कराने हेतु विज्ञापन के माध्यम से सभी जिला के जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन दायर किया जाता है । फरवरी, मार्च महीने में दाखिला हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है तथा मेधासूची के अनुसार विद्यार्थी का चयन किया जाता है ।	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी /जिला कल्याण पदाधिकारी
5.	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति छात्रावास से संबंधित परिवाद	1. अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनु0 जातियों एवं अनु0 जनजातियों के छात्र/छात्राओं के लिए कुल– 113 छात्रावास संचालित है । 2. इन छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबुल–कुर्सी इत्यादि की सुविधा दी जाती है । उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है । 3. अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1000/– (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है । 4. छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान (9 किलो चावल तथा 6 किलो गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है ।	**1. पत्रता –** राज्य में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति समुदाय के छात्र/छात्राओं में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना । **2. उद्देश्य –** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी करने, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने, उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करना । **2. कार्यक्षेत्र –** राज्य के 113 छात्रावासों में संचालित । **3. योजना का क्रियान्वयन –** राज्य में छात्रावासों में दाखिला कराने हेतु विज्ञापन के माध्यम से सभी जिला के जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन दायर किया जाता है । फरवरी, मार्च महीने में दाखिला हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है तथा मेधासूची के अनुसार विद्यार्थी का चयन किया जाता है ।	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी
6.	अनु0 जाति उपयोजना/अनु0 जनजाति उपयोजना से संबंधित परिवाद	वर्तमान में यह योजना का लाभ अन्य विभागों द्वारा दिया जा रहा है । इसलिए ऐसी कोई योजना इस विभाग से संचालित नहीं की जा रही है ।		

8.	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम से संबंधित परिवाद	गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत बैंको के माध्यम से 35000.00 रू0 तक का ऋण आर्थिक लाभदायक योजनाओं हेतु दिया जाता है जिसमें 50: अधिकतम 10000 रू0 अनुदान तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है । वर्तमान में यह योजनान्तर्गत अनुदान योजना वर्ष 2020–21 से बन्द है ।		

9.	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एवं चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित स्टूडेंटस गाइडेंस सेंटर से संबंधित परिवाद	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए उन्हे प्रशिक्षण देने हेतु पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा (भोजपुर), सारण (छपरा) मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान में एक–एक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है । इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है । इन केन्द्रों पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है ।	**1. पत्रता –** राज्य में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में सफल बनाना। **2. उद्देश्य –** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । **3. कार्यक्षेत्र –** राज्य के 10 जिलों में संचालित । **4. योजना का क्रियान्वयन –** राज्य में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के तहत प्रशिक्षण पाने हेतु विज्ञापन के माध्यम से सभी जिला के जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन दायर किया जाता है । स्क्रुटनी के तहत नियम व शर्ते पूरा करने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है ।	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी
10.	थरूहट क्षेत्र विकास योजना से संबंधित परिवाद	1. पश्चिम चम्पारण के थारू एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु समेकित थरूहट विकास की स्थापना पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला में की गई है । थरूहट क्षेत्र के विकास हेतु इस अभिकरण के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाता है । 2. थरूहट क्षेत्र में 48 पुस्तकालय भवनों का निर्माण किया गया है । थरूहट क्षेत्र में अवस्थित मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए खेल सामग्री का वितरण किया गया है ।	**1. पत्रता –** राज्य में पश्चिम चम्पारण के अनु0 जनजाति (थारू जनजाति सहित) को राज्य सरकार द्वारा समेकित थरूहट विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभिन्न योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है । **2. उद्देश्य –** पश्चिम चम्पारण जिला के थारू एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना सोसाईटी रजिस्ट्रेशन के तहत पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला के युवक/युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत ड्रेस मेकिंग, सिक्युरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंविंग, ऑटोमोबाईल, ड्राइविंग, डी0टी0पी0 आदि का प्रशिक्षण दिया जाना है। **3. कार्यक्षेत्र –** राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला में संचालित । 4. **योजना का क्रियान्वयन –** इस योजना के तहत प्रशिक्षण पाने हेतु जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन दर्ज करें ।	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी
11.	पुस्तक अधिकोष से संबंधित परिवाद	वर्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ऐसी किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं है ।		
12.	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ती योजना से संबंधित परिवाद	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिये परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है ।		
13.	विशेष केन्द्रिय सहायता से संबंधित परिवाद	वर्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ऐसी किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं है ।		
14.	अनु0 जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रिय सहायता योजना के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान योजना से संबंधित परिवाद	वर्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ऐसी किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं है ।		

15.	संविधान की धारा–275 (1) के तहत आधारभूत संरचना विकास योजना से संबंधित परिवाद	इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है । इस योजना के तहत आधारभूत संरचना/आयोत्पादक योजना/कौशल विकास की स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को दे दी गई है ।		
16.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित परिवाद	वर्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ऐसी किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं है ।		
17.	आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के विपत्रों के भुगतान में बिलम्ब/अनियमितता के मामले	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत विपत्र के भुगतान में बिलम्ब एवं अनियमितता के संबंध में परिवाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है ।	विपत्र के ससमय भुगतान न होने पर संवेदक आवेदन दे सकते हैं।/कराये गये कार्यो में अनियमितता होने पर आम जनता द्वारा आवेदन दिया जा सकता है ।	निदेशक/संयुक्त सचिव